न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
20/2026 प्रा.पत्र/2026	26.02.2026	27.03.2026

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री जावेद अहमद पुत्र श्री शकील अहमद निवासी सुनहरी कोठी नजर बाग पैलेस टोंक जिला टोंक राज0 एफ.बी.ओ. मैसर्स BUR66ER (बर्गर) सेन्ट सोल्जर कॉलेज के पास ताल कटोरा सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 7737007071
2—मैसर्स BUR66ER (बर्गर) सेन्ट सोल्जर कॉलेज के पास ताल कटोरा सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड—304001

.....**अप्रार्थी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)
उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी श्री जावेद अहमद स्वयं उप0।

:—<u>निर्णय</u>—: **दिनांक** 27/3/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2025 को समय 05:00 पी.एम. पर मैसर्स BUR66ER (बर्गर) सेन्ट सोल्जर कॉलेज के पास ताल कटोरा सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री जावेद अहमद पुत्र श्री शकील अहमद अपने प्रतिष्ठान मैसर्स BUR66ER (बर्गर) सेन्ट सोल्जर कॉलेज के पास ताल कटोरा सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री जावेद अहमद पुत्र श्री शकील अहमद को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जावेद अहमद पुत्र श्री शकील अहमद ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान में डिप फायर में लगभग 10—12 किलोग्राम **यूज्ड कुंकिग**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ऑयल(रिफाईण्ड पाम तेल) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री जावेद अहमद पुत्र श्री शकील अहमद को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री जावेद अहमद पुत्र श्री शकील अहमद व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान में डीप फ्रायर में लीगभग 10–12 किलोग्राम **यूज्ड कुंकिग ऑयल(रिफाईण्ड पाम तेल)** में से 1.6 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **यूज्ड कुंकिग ऑयल(रिफाईण्ड पाम तेल)** 1.6 किलोग्राम को हिला–मिलाकर पूर्णतयरा होमोजिनियस कर 4 प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 400 ग्राम) प्रत्येक शिशी के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4523 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4523 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/4477 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/4083/एक्ट/2025/4042 दिनांक 27.10.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया **यूज्ड कुंकिग ऑयल(रिफाईण्ड पाम तेल)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के धारा 3(1)(zz)(iii) व 3(1)(zz)(xi) के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe)** व 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया।

विक्रेता ने जांच रिपोर्ट के विरूद्व धारा 46(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं नमूना निदेशक रैफरल फूड मैसूर भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2026/42 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संर्टिफिकेट नं0 एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(2080एफ)/2025/दिनांक 29.12.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **यूज्ड कुंकिग ऑयल(रिफाईण्ड पाम तेल)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है, जो अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री जावेद अहमद उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **यूज्ड कुंकिग ऑयल(रिफाईण्ड पाम तेल)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **यूज्ड कुंकिग ऑयल(रिफाईण्ड पाम तेल)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/3/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज